

प्रोफार्मा-अ  
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं०

46937

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....FSO-1 GBN.....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या P-1/FS-7/2018

दिनांक 11/08/2018

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

M/s- SURVANT ART & EDUCATION SOCIETY

PLOT NO- A-62A SECTOR-20 NOIDA

जनपद.....GAUTAM BUDDH NAGAR.....

दिनांक :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या.....दिनांक.....

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध .....18  
अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये.....18000/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा.....SECTOR-02 NOIDA  
जनपद.....G.B.N.....में चालान संख्या.....5040028 दिनांक.....04-08-2018.....द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त.....18 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 08-08-2018
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम।
3. संस्थान का विवरण।
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या।
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
01.	A.B.C TYPE	05kg	15	ACTIVATE
02.	CO2 TYPE	4.5kg	03	"
-	-	-	18	-

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....Gautambudhnagar.....।
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय.....meerut.....।

(सुलदीप कुमार)

आ (नामा एवं इस्ताफेर)

फायर अग्निशमन अधिकारी  
कौलम्बुद्धनगर



कार्यालय

उपनिदेशक

फायर

सर्विस

मेरठ

परिक्षेत्र।

पत्रांक:रिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-16(1)/ 332.

दिनांक: मई 14 2016.

सेवा मे,

प्रबन्धक,

सरवानी आर्ट एण्ड एज्युकेशनल सोसायटी

प्लॉट नं. ए-62, सैक्टर-20, नौएडा  
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय:

सरवानी आर्ट एण्ड एज्युकेशनल सोसायटी, प्लॉट नं. ए-62, सैक्टर-20, नौएडा गौतमबुद्धनगर मे निर्मित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के वर्ष 2016-2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:

यू0आई0डी0:2015/10139/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1895/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नगत भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम द्वारा किया गया तथा उनकी आख्या पत्र संख्या:म-145/एफएसओ/प्रथम/16 दिनांक: 11-05-2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 13-05-2016 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन को पूर्व मे निर्गत प्रमाण पत्र का विवरण:- पत्रांक: रिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-15(1)/511 दिनांक: 30-05-2015।

भवन की संरचना:-

भवन का अधिमोग:-प्रश्नगत भवन का अधिमोग एन0बी0सी0 की ग्रुप ई0 लो हैजार्ड श्रेणी के अन्तर्गत कार्यालय भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाएँ:-

1-पहुँच मार्ग:- भवन के सामने 24.00 मी0 चौड़ा रोड एवं प्रवेश द्वार की चौड़ाई-05.00 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2-सैटबेक:- प्रश्नगत परिसर के सैटबेक स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उपलब्ध है।

3-रिफ्यूज एरिया:- प्रश्नगत निर्मित भवन में रिफ्यूज एरिया मानको के अनुरूप अनुमन्य नहीं है।

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में 03 अदद स्टेयर जिनकी चौड़ाई स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित पायी गयी:-

1-होजरील/डाउनकामर:-प्रश्नगत भवन मे होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होजबाक्स, होज पाइप एवं ब्रांचपाईप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे पायी गयी।

2-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।


(एच0 एस0 मलिक)  
उपनिदेशक फायर सर्विस  
मेरठ परिक्षेत्र



- 3-भूमिगत टैंक:-प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु भूमिगत टैंक 1,50,000 ली० क्षमता का स्थापित एवं कार्यशील है ।
- 4-पम्प:-अग्निशमन कार्यो हेतु 2280 एल०पी०एम० क्षमता का 01 अदद मेन विद्युत चालित पम्प, इतनी ही क्षमता का डीजल चालित पम्प, एवं 180 एल०पी०एम० क्षमता का जौकी पम्प स्थापित व कार्यशील दशा मे है
- 5-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन मे मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम मानकों के अनुसार स्थापित है।
- 6-ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम मानकों के अनुसार स्थापित है।
- 7-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 लीटर स्थापित व कार्यशील दशा मे है।
- 8-वेटराईजर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन मे वेटराईजर सिस्टम एन०बी०सी० एवं आई०एस०-3844-1993 मानकों के अनुसार स्थापित है।
- 9-यार्ड हाईड्रेन्ट:- प्रश्नगत भवन मे यार्ड हाईड्रेन्ट मानको के अनुसार स्थापित व कार्यशील दशा मे है
- 10-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम मानको के अनुसार स्थापित है।
- 11 -एग्जिट साईनेज :-सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशमन अधिकारी की आख्या के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स सरवाती आर्ट एण्ड एज्युकेशनल सोसायटी, प्लॉट नं. ए-62, सैक्टर-20, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता के आधार पर वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र वर्ष 2016-2017 हेतु निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1-भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने के लिए इसका मेन्टीनेन्स शेड्यूल बनाया जाय तथा शेड्यूल के अनुरूप सिस्टम को कार्यशील दशा में रखा जाय ।
- 2-भवन में स्थापित अग्नि शमन प्रणाली के संचालन के लिए प्रशिक्षित अग्नि शमन कर्मी नियुक्त किये जाय।
- 3-किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4-भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर तत्काल नजदीकी अग्नि शमन केन्द्र को सूचित किया जाय तथा त्रुटि को तत्काल ठीक कराया जाय।
- 5-प्रत्येक छः माह में भवन में कार्यरत सभी कर्मियों को मॉक ड्रिल/इमरजेन्सी इवेक्यूवेशन ड्रिल कराई जाय ताकि किसी भी आपात स्थिति सभी अपने उत्तर दायित्व का निर्वाह कर सकें ।
- 6-वर्ष में एक बार अग्नि शमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय।
- 7-विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 8-भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा उदासीनता के कारण अकार्यशील दशा में पाये जाने पर उत्तरदायित्व प्रबन्धक को होगा।
- 9-उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

  
 (एच०एस० मलिक)  
 उपनिदेशक, फायर सर्विस,  
 मेरठ परिक्षेत्र

- प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
 2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
 3-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।